प्रेस विज्ञप्ति
09.05.2026

माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटियाला हाउस जिला न्यायालय, नई दिल्ली ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में सभी आरोपियों को 28.04.2026 को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके निदेशक- रविंदर तनेजा, कमल तनेजा और डी एन तनेजा और संबंधित संस्थाओं को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया है।
ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर/ दाखिल किए गए आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर/आरोपपत्रों के अनुसार, मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और केएमपी ने कई घर खरीदारों को वादे के अनुसार फ्लैट और यूनिट निर्धारित समय के भीतर देने में विफल रहकर और कुछ मामलों में, यहां तक कि अपनी एक परियोजना में 16-18 साल की देरी के बाद भी धोखा दिया और जालसाजी की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में कई कमर्शियल/ आवासीय प्लॉट/ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इसने सोनीपत में 26 प्रोजेक्टों में 14,105 ग्राहकों से एडवांस बुकिंग राशि के रूप में लगभग 4,619.43 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। ये प्रोजेक्ट 2005 से 2014 तक शुरू किए गए थे। हालांकि, 04 प्रोजेक्टों के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी भी लंबित हैं जबकि इसके प्रोजेक्ट्स में से एक "पार्क स्ट्रीट" अभी भी अधूरा है। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि कंपनी के प्रमोटरों/निदेशकों ने लक्षित आवासीय/आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्राहकों के धन का उपयोग करने के बजाय, भूमि के टुकड़ों की खरीद और अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि के रूप में ऐसी पर्याप्त मात्रा में धन अपनी सहायक कंपनियों/पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया। आरोपी कंपनी ने उक्त ग्राहक धन को अपने ऋणों को चुकाने और निवेश करने के लिए भी हस्तांतरित और उपयोग किया था। धन के इस हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अंततः कंपनी की लक्षित परियोजनाओं के निर्माण में देरी हुई, जिससे ग्राहकों को अपनी इकाइयों/भूखंडों का समय पर कब्जा नहीं मिल सका।

हाल ही में, ईडी ने पीएमएलए के तहत आरोपी कंपनी और उससे संबंधित संस्थाओं की 304.06 करोड़ रुपये मूल्य की आस्तियों/संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इससे पहले 2024 में, ईडी ने 45.49 करोड़ रुपये मूल्य की आस्तियों/संपत्तियों को कुर्क किया था। इस प्रकार कुल 349.55 करोड़ रुपये के "अपराध के आगम" कुर्क किए गए थे, जिसे मामले में पहचाना और निर्धारित किया गया था। ईडी द्वारा दायर उक्त अभियोजन शिकायत में इन अपराध के आगमों को पीएमएलए, 2002 के तहत जब्त करने की भी प्रार्थना की गई है।

****

आरोपित किया गया है।